प्र.सं. 157 / 2017 श्रीमती कविता व अन्य बनाम जगन्नाथ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोटा देवरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित अ, ब, स, द, य, र, ल, व, भा, ा की आराजियात स्थित होकर उनमें अंकित हिस्सेनुसार वादी का हिस्सा है, जिस पर वादी अपने पिता के समय से काबिज होकर का त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक व हिस्से की आराजी की रजिस्टर्ड लीज डीड दिनांक 05.06.2006 को वादी के पक्ष में कर दी एवं सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में हक त्याग कर दिया, लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं हो पाने से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज रह गयी, लेकिन रजिस्टर्ड हक त्याग के बाद प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं रहा, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रह जाने से भूमाफियाओं ने एक नुमाई ी विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के नाम निश्पादित करवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में नुमाई ी विक्रय पत्र निश्पादित कर दिया, जो वादी के मुकाबले भून्य व बेअसर हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अ, ब, स, द, य, र, ल, व, भा में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के बजाय वादी को खातेदार घोशित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10.06.2017 से वादी का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.09.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाशक उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसे भाामिल पत्रावली किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 01.09.20[illegible] हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया [illegible] कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत [illegible]या। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर [illegible]न किया एवं पत्रावली का	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रकरण तनकियात कायमी में चल रहा था एवं दिनांक 17.07.2017 की पे ाी नियत थी, किन्तु अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने प्रकरण उससे पूर्व ही दिनांक 17.06.2017 को राजस्व कैम्प में रखकर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वर्श 2006 को रजिस्टर्ड हक त्याग किया गया है, जबकि अपीलान्टगण का विक्रय वर्श 2008 को होकर प चातवर्ती विक्रय है एवं प चातवर्ती विक्रय के आधार पर किसी प्रकार के हक अधिकारों का सृजन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2017 को 17.07.2017 के लिए पे ाी नियत की गयी, किन्तु इसके पूर्व ही दिनांक 17.06.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे स्पश्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 29/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. I. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested

(एम.आई. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर